न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /21/2023

1–राजन पुत्र दौजी । जाति जाट निवासी बीलौठ तहसील नदबई जिला
2–विक्रम पुत्र दौजी । भरतपुर
3–गौरव पुत्र निनुआराम ।

.....अपीलान्ट

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर
2–नायव तहसीलदार लखनपुर तहसील नदबई

.......रेस्पो0

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय भरतपुर (राज.)

अपील खिलाफ विरुद्ध निर्णय दिनांक 25.7.2020 नायव तहसीलदार लखनुपर तहसील नदबई मु0 उनवानी राज0 सरकार बनाम राजन आदि प्रकरण संख्या 16/2022 अंतर्गत धारा 91 राज0 भूराजस्व अधिनियम।

उपस्थित :–
1–श्री प्रमोद उपमन , अभिभाषक अपीलान्ट,
2–पैरोकार सरकार उपस्थित,

निर्णय **दिनांक 26.06.2024**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 व खिलाफ आदेश दिनांक 25–7–2020 नायव तहसीलदार लखनपुर पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट अतिक्रमीयों को आराजी खसरा नम्बर 342 रकवा 0.10 है0 में से 0.05 है0 ग्रांम बीलोठ पर किये गये अतिक्रमण से बेदखल किये जाने पैलन्टी कायम किये जाने की आज्ञा नायव तहसीलदार लखनपुर द्वारा दी गई है। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तहत पत्रावली तलब की गई। रेस्पो की तलबी की गई। तहत पत्रावली शामिल मिसिल की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि विवादित आराजी पर अपीलान्टान का पुराना कब्जा चला आरहा है। उक्त खसरा नम्बर को आबादी में परिवर्तित कराने एवं आंबटन कराने हेतु आवेदन किया गया है। ग्रांम पंचायत परसवारा की बैठक दिनांक 5.7.2021

.........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

के प्रस्ताव संख्या 3 में उक्त खसरा को आाबादी में परिवर्तन कराने का प्रस्ताव लिया जा चुका है। तहत न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा पेश किये गये दस्तावेजों पर गौर नहीं किया। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गये और न ही जबाब पेश करने का अवसर दिया गया अदालत तहत ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना की है। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलान्टान ने विवादित आराजी पर गैंतबाडा बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। जिसके के लिये नायव तहसीलदार ने विधिवत कार्यवाही करते हुये, अपीलान्टान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये निर्णय पारित किया है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। तहत पत्रावली अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्टान ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 342 रकवा 0.10 है0 में से 0.05 पर गैंतवाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है रिपोर्ट पटवारी हल्का से स्पष्ट है। अपीलान्ट का यह कहन कि उन्हें तहत न्यायालय ने सुनवाई का मौका नहीं दिया स्वीकार योग्य नहीं क्यों कि अपीलान्टान ने तहत न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जबाब पेश किया गया जो तहत न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। योग्य अभिभाषक ने ऐसा कोई साक्ष्य हमारे समक्ष पेश नहीं किया जिससे यह माना जा सके कि विवादित आराजी आबादी की हो। नायव तहसीलदार लखनपुर द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्टान खारिज योग्य रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्टान खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावाली वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 26–06–2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय भरतपुर (राज.)